F-07-07



## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1821 / Type Approval No. 1821 मद/FOR ITEM: सीलिंग रिंग (एमआइ-8/8-1910-609)/ Sealing Ring (MI-8/8-1910-609)

यह प्रमाणित किया जाता है कि 3बीआरडी, एएफ, चंडीगढ़ – 160 003, द्वारा विनिर्देश टीवाई 38-005-1166-73 (टीए सं. 1249) हेतु नाइट्राइल बेस रबड़ काम्पाउंड से विकसित एवं उत्पादित " सीलिंग रिंग ", पार्ट सं. एमआइ-8/8-1910-609 को आरेखन सं. 3बीआरडी/आरएस-00 787/एमआइ-8, के अनुसार एमआइ-8 हेलिकॉप्टर के हाइड्रोलिक डैम्पर में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (चंडीगढ़) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं. आरसीएमए/टीएस/12/2007, दिनांक 30 मार्च 2007, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ' ए' में संलग्न " वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट" में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Sealing Ring" bearing the Part No. MI-8/8-1910-609 Developed out of Nitrile Base Rubber Compound NPE-2 to specification TY 38-005-1166-73 (TA No. 1249) and Manufactured by 3BRD, AF, Chandigarh – 160 003, is hereby approved for production as per Drawing No. 3BRD/RS-00 787/MI-8, for use in Hydraulic Damper of MI-8 Helicopter. It has been tested in co-ordination with RCMA (Chandigarh) as per Test Schedule No. RCMA/TS/12/2007, dated: 30th Mar 2007. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

ਧੂਬ/Page 01 of 02

ਧੁਲ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1821 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सिम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (चंडीगढ़), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2018 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Chandigarh), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट ' ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1821

 (पी.जयपाल वै. 'जी'/P. JAYAPAL Sc. 'G') मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)

04/84/14 V28/4/14